न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 49/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री खान मोहम्मद खां प्रर्वतन निरीक्षक पीसांगन.

..................प्रार्थी

बनाम

1–श्री अजीत कुमार पुत्र श्री रिखब चन्द निवासी छोटा, बाजार, ग्राम गोविन्दगढ, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर पुलिस थाना पीसांगन

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित ;–

1. श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी	**पेराकार सरकार**
2. श्री श्रवण सिह गौड	**अप्रार्थी अभिभाषक**

आदेश

दिनांक 08.05.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.10.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के नेतृत्व में हमराह खान मोहम्मद खॉ, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक दुरूपयोग रोकने के अभियान के कम में अजीत किराणा स्टोर, गोविन्दगढ, पीसांगन पर पहुंचे। उक्त दुकान पर व्यवसायी श्री अजीत कुमार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो का भण्डारण कर ग्रामीणो को प्रति सिलेण्डर (14.20 किग्रा) 1100 से 1150 रूपये में विकय करना तथा सिलेण्डरों की अपूर्ति पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस से होना बताया। निरीक्षण दौरान अवैध भण्डारित पाये गये कुल 65 घरेलू गैस सिलेण्डर संदर्भ में व्यवसायी अजीत कुमार द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार व्यवसायी अजीत कुमार द्वारा दुकान पर घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण कर निर्धारित दर से अधिक दर पर उपभोक्ताओ को विकय किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1) (ख), 4(1)(ख) एवं खण्ड 6 (1)(क)(ग) की अवहेलना किये जाने के कारण घरेलू एल.पी.जी. के 65 सिलेण्डरों को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस, पीसांगन के कार्मिक श्री बिशन सिंह पुत्र हिंगलाज दान को बुलवा कर सत्यापित व मुद्रंकित कांटे से वजन करवाकर आगामी आदेशो तक सुपुर्दगी में दिये गये। श्री अजीत कुमार द्वारा एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(ख),4 (1)(ख) एवं खण्ड 6(1)(क)(ग) का उलघंन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 65 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 744.70 किग्रा एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। उभयपक्षों को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

जिला कलक्टर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 20.10.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के नेतृत्व में हमराह खान मोहम्मद खॉ, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक दुरूपयोग रोकने के अभियान के कम में अजीत किराणा स्टोर, गोविन्दगढ, पीसांगन पहुंचे। उक्त दुकान पर व्यवसायी श्री अजीत कुमार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो का भण्डारण कर ग्रामीणो को प्रति सिलेण्डर (14.20 किग्रा) 1100 से 1150 रूपये में विकय करना तथा सिलेण्डरों की अपूर्ति पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस से होना बताया। निरीक्षण दौरान अवैध भण्डारित पाये गये कुल 65 घरेलू गैस सिलेण्डर संदर्भ में व्यवसायी अजीत कुमार द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार व्यवसायी अजीत कुमार द्वारा दुकान पर घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण कर निर्धारित दर से अधिक दर पर उपभोक्ताओ को विक्रय किया जा रहा था। अप्राथी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1) (ख), 4(1)(ख) एवं खण्ड 6 (1)(क)(ग) की अवहेलना किये जाने के कारण घरेलू एल.पी.जी. के 65 सिलेण्डरों को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस, पीसांगन के कार्मिक श्री बिशन सिंह पुत्र हिंगलाज दान को बुलवा कर सत्यापित व मुद्रांकित कांटे से वजन करवाकर आगामी आदेशो तक सुपुर्दगी में दिये गये।

जब्त गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार हैं–

क्र0सं0	सिलेण्डर का एस. आर. कमांक	सील/अनसील्ड सरकारी तेल कम्पनी का नाम	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टेसर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल. पी.जी. कि.ग्रा में	शुद्ध गैस का भार
1	477276 T	indane	15.5	29.7	14.2
2	398606 S	indane	18.8	29.9	14.1
3	304426 E	indane	15.8	30.	14.2
4	615312 T	indane	15.8	30.	14.2
5	908523 S	indane	16.1	30.3	14.2
6	329119	indane	15.3	29.5	14.2
7	156010 T	indane	15.7	29.7	14.0
8	267746 T	indane	15.6	29.8	14.2
9	133847 E	indane	15.7	29.9	14.2
10	168773 S	indane	15.9	30	14.1
11	307437 T	indane	15.4	29.6	14.2
12	692951	indane	15.8	30	14.2
13	731178 J	indane	15.4	·29.6	14.2
14	472104	indane	15.9	30	14.1
15	28822 T	indane	15.5	29.7	14.2
16	17792	indane	15.9	30.1	14.2
17	228638	indane	15.6	29.8	14.2
18	146617 P	indane	15.8	29.9	14.1
19	105460 S	indane	15.6	29.6	14.0

जिला कलक्टर
अजमेर

20	933222 E	indane	15.6	29.8	14.2
21	614628 S	indane	15.7	29.9	14.2
22	277798 S	indane	15.7	29.8	14.1
23	316094 P	indane	15.6	29.8	14.2
24	699017 S	indane	15.9	30.1	14.2
25	340248	indane	16.4	30.6	14.2
26	404404	indane	15.6	29.5	13.9
27	381914 S	indane	15.7	29.9	14.2
28	678219 T	indane	15.8	30	14.2
29	942446 J	indane	15.9	30.1	14.2
30	344939 P	indane	15.8	30	14.2
31	586788 T	indane	15.3	29.5	14.2
32	866245 S	indane	15.6	29.6	14.0
33	021655 S	indane	15.4	29.5	14.1
34	562306 T	indane	15.8	30	14.2
35	963612 B	indane	15.5	29.7	14.2
36	558040 E	indane	15.3	29.5	14.2
37	879719 S	indane	15.5	29.6	14.1
38	345865	indane	15.5	29.7	14.2
39	269484	indane	15.6	29.6	14.0
40	574181 P	indane	15.5	29.7	14.2
41	11434	indane	1.0	30.2	14.2
42	562622	indane	15.3	29.5	14.2
43	229312 S	indane	15.5	29.6	14.1
44	183689	indane	15.8	26.0	10.2
45	829174 E	indane	15.3	24.6	9.3
46	590017 S	indane	15.6	27.4	11.8
47	948070 S	indane	15.9	21.0	5.1
48	387874 J	indane	15.5	15.5	0
49	299216 P	indane	15.6	15.6	0
50	571659 S	indane	15.6	15.6	0
51	927287 T	indane	15.4	15.4	0
52	362566 U	indane	8.3	13.3	5.0
53	491463 V	indane	8.3	13.3	5.0
54	047303 T	indane	19.0	38	19.0
55	63598 S	Hp	15.7	29.9	14.2
56	562324 S	indane	15.7	29.8	14.1
57	190750 S	indane	16.0	29.9	13.9
58	421097 P	indane	15.6	29.8	14.2
59	095395 T	indane	15.6	29.8	14.2

जिला कलक्टर
अजमेर

60	015479 T	indane	15.7	15.7	0
61	208931 E	indane	15.6	15.6	0
62	33409 S	indane	15.9	15.9	0
63	027539 P	indane	15.8	15.8	0
64	916271 T	indane	15.8	15.8	0
65	37709	indane	16.0	16.0	0
Total			1007.30	1752	744.70

श्री अजीत कुमार द्वारा एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(ख),4 (1)(ख) एवं खण्ड 6(1)(क)(ग) का उलघंन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 65 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 744.70 किग्रा एलपीजी को राजसात करने आदेश फरमावे।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 20.10.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वितीय के नेतृत्व में खान मोहम्मद प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा 65 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 744.70 किलोग्राम एलपीजी गैस को अवैध रूप से जब्त किये गये है क्योंकि अप्रार्थी के पास ग्राम गोविन्दगढ में किराने की दुकान है तथ खुले चौक में पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस का केम्प लगता है तथा उक्त 65 सिलेण्डर ग्रामीणों के गैस सिलेण्डर है जिनका कि ग्रामीण मजदूर तथा किसान होने के कारण अपने खेत में कार्य करने जाते है तथा उनका समय गैस सिलेण्डरो का ट्रक से मिलान नही होने के कारण एवं उक्त सभी व्यक्ति जो कि दुकान के ग्राहक होने के कारण उक्त दुकान की निगरानी में सिलेण्डरों को रखकर चले जाते है तथा फिर समय मिलने पर अपना अपना सिलेण्डर लेकर चले जाते है तथा उक्त सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण का कार्य नहीं किया जाता है। केवल मात्र अप्रार्थी द्वारा अपने ग्राहको के मुलाहिजे के कारण उक्त सिलेण्डरो की निगरानी की जा रही थी। उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में रसद विभाग के जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तक निरीक्षक अधिकारी द्वारा बरवक्त जब्त सिलेण्डरो के समय कोई अनुसंधान नहीं करके केवल मात्र झूठी शिकायत व राजनैतिक अप्रोच के कारण ग्रामीणो के रसोई सिलेण्डरो को जब्त करके ग्रामीणो को खाने पकाने से महरूम कर दिया है। जबकि धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में विधिक प्रावधान है कि उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में कोई जानकारी मिलती है तो रसद अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी द्वारा आवश्यक जॉच एवं कार्यवाही की जायेगी तथा सम्बन्धित पुलिस थाना के अनुसंधान अधिकारी को अवगत करवाया जायेगा। जिससे कि सम्बन्धित थाना पुलिस अनुसंधान अधिकारी उक्त तथ्यों की विधिवत जॉच करके चार्जशीट प्रस्तुत करेगा। तब उपरोक्त तथ्य के बारे में आवश्यक जॉच व कार्यवाही होने के बाद यदि मामला बनता है तो आवश्यक कार्यवाही की जाती है। यदि उपरोक्त प्रकरण में रसद विभाग के द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी जिससे यह तथ्य साबित होता है कि अप्रार्थी द्वारा कोई गैस सिलेण्डरों का कोई अवैध भण्डारण किया गया हो और उन्हें नाजायज रूप से उपयोग–उपभोग में किया जा रहा हो तथा उपरोक्त तथ्यों के बारे में कोई आवश्यक जॉच, कार्यवाही व न्यायालय में कोई जॉच से सम्बन्धित प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए उक्त कार्यवाही केवल मात्र राजनैतिक प्रभाव एवं झूठी शिकायतों के आधार पर की गयी है। जबकि उपरोक्त प्रकरण में जब्त सिलेण्डर सभी ग्रामीणो के है तथा इस तथ्य के सम्बन्ध में भी ग्रामीणो से कोई पूछताछ नहीं की गयी है ना ही कोई सक्षम साक्ष्य प्रस्तुत

जिला कलक्टर
अजमेर

की गयी। इसलिए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में जब्त 65 सिलेण्डरो को सम्बन्धित ग्रामीणों को देने के आदेश फरमावें। तथा इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा समस्त सिलेण्डरों के समस्त बाउचर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहे है।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध फर्द दस्तावेजात, फर्द मौका एवं जप्ती, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दिनांक 20.10.2022 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के नेतृत्व में खान मोहम्मद खॉ, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक दुरूपयोग रोकने के अभियान के क्रम में अजीत किराणा स्टोर, गोविन्दगढ, पीसांगन पहुंचे। उक्त दुकान पर व्यवसायी श्री अजीत कुमार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो का भण्डारण कर ग्रामीणो को प्रति सिलेण्डर (14.20 किग्रा) 1100 से 1150 रूपये में विक्रय करना तथा सिलेण्डरों की आपूर्ति पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस से होना बताया। निरीक्षण दौरान अवैध भण्डारित पाये गये कुल 65 घरेलू गैस सिलेण्डर संदर्भ में व्यवसायी अजीत कुमार द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार व्यवसायी अजीत कुमार द्वारा दुकान पर घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण कर निर्धारित दर से अधिक दर पर उपभोक्ताओ को विक्रय किया जा रहा था। अप्राथी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1) (ख), 4(1)(ख) एवं खण्ड 6 (1)(क)(ग) की अवहेलना किये जाने के कारण घरेलू एल.पी.जी. के 65 सिलेण्डरों को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस, पीसांगन के कार्मिक श्री बिशन सिंह पुत्र हिंगलाज दान को बुलवा कर सत्यापित व मुद्रंकित कांटे से वजन करवाकर आगामी आदेशो तक सुपुर्दगी में दिये गये। अप्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जो प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन करते हो।

इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1) (ख), 4(1)(ख) एवं खण्ड 6 (1)(क)(ग) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 65 गैस सिलेण्डर मय 744.70 किग्रा एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर